196

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2017 पुनरीक्षण R 191-#17

मुजतर अहमद पुत्र श्री मुख्त्यार अहमद सिद्धिकी निवासी कृष्णगंज पोहरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 74/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.12.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य –

यह कि, वाद भूमि सर्वे कं. 243/1 मिन रकवा 1.66 है0 में से रकवा 0.20 है0 भूमि पर आवेदक का वर्ष 02.10.84 के पूर्व से होने के आधार पर तहसील न्यायालय पोहरी के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है इस कारण उक्त भूमि आवेदक के नाम व्यवस्थापित की जावे। उक्त आवेदन पर तहसील न्यायालय ने प्र.कं. 26/अ–19/94–95 दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मांगी ग्राम पंचायत ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव ठहराव पारित किया जो प्रकरण में संलग्न है हल्का पटवारी से स्थल रिपोर्ट चाही गई जो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 191–दो/2017 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–01–2017	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 74/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.12.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया कि कस्बा पोहरी तहसील पोहरी में स्थित वाद भूमि सर्वे कं. 243/1 रकवा 1.666 है0 में से रकवा 0.20 है0 भूमि पर आवेदक का वर्ष 02.10.1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर उक्त भूमि उसके नाम व्यवस्थापित किये जाने बावत तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया था। उक्त आवेदन पर प्र.कं. 26/अ–19/94–95 दर्ज कर विधिवत प्रकिया अपनाकर ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मंगाकर हल्का पटवारी से स्थल रिपोर्ट मंगाकर पटवारी के कथन आवेदक स्वयं क कथन तथा स्वतंत्र साक्षियों के कथन कराकर नियमों का पूर्ण पालन कर आवेदक के हित में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 5.095 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध फर्जी शिकायत पर से जांच किये बिना शिकायकर्ता के कथन लिये बिना 14–15 वर्ष विलंब से प्रस्तुत शिकायत पर से तहसील न्यायालय के प्रकरण को कलेक्टर शिवपुरी ने स्व. निग. में दर्ज कर आवेदक को	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	सूचना दी आवेदक ने उपस्थित होकर आपत्ति आवेदन पेश कर उक्त कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। कलेक्टर शिवपुरी ने अपने आदेश दिनांक 27.10.10 से आपत्ति आवेदन निरस्त कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण नियत किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की जिसे आदेश दिनांक 24.12.13 द्वारा निरस्त की गई। आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया कि शासकीय भूमि सर्वे कं. 243/1 रकवा 1.666 है0 में से अंश रकवा 0.20 है0 भूमि पर आवेदक का लंबे समय से कब्जा होने के आधार पर तहसील न्यायालय ने विधिवत प्रकिया अपनाकर आवेदक के नाम बाद भूमि व्यवस्थापित की है। आवेदक ने वाद भूमि पर अपने श्रम व धन व्यय कर मकान बनाया है। ग्राम पंचायत ने आवेदक के पक्ष में सहमति दी थी किसी भी व्यक्ति द्वारा समय के भीतर एवं पश्चात कोई आपत्ति नहीं की थी। आवेदक का यह भी तर्क है कि कलेक्टर को लंबे अर्से पश्चात स्वमेव निगरानी में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीक्ली नोटस 26, 2001 रा.नि. 161 जिसमें प्रतिपादित किया है कि स्वप्रेरणा कार्यवाही अधिक से अधिक 180 दिन की अवधि में की जा सकती है जबकि उक्त प्रकरण में लगभग 14–15 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा कार्यवाही की गई है जो निरस्त योग्य है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्थिर रखने में त्रुटि की है। इस प्रकार उनके द्वारा अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 191–दौ/2017 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेज व आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आवेदक सर्वे कं. 243/1 अंश रकवा 0.20 है0 पर लंबे अर्से से कब्जा होने के आधार पर अपने नाम व्यवस्थापित कराने हेतु विधिवत तहसील न्यायालय में आवेदन किया था तहसील न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत की सहमति लेकर हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट मंगाकर पटवारी के कथन, आवेदक स्वय के कथन व अन्य स्वतंत्र साक्षियों के कथन कराकर पूर्ण प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुये आवेदक के नाम बाद भूमि व्यवस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया था। कलेक्टर शिवपुरी ने शिकायती आवेदन पर से तहसील प्रकरण को स्वमेव निगरानी में दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की उनके समक्ष आवेदक ने आपत्ति आवेदन पेश किया कि 14–15 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में कार्यवाही नहीं की जा सकती इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीक्ली नोट 26 पूर्णतयाः लागू होने से कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में उक्त दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.13 एवं कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2010 एवं उसके पश्चात संचालित उनके समक्ष प्र.कं. 06/09–10/स्व. निग. कार्यवाही समाप्त/ निरस्त की जाती है। तहसीलदार पोहरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.95 स्थिर रखा जाता है । तदनुसार निगरानी निराकृत की जाती है। सदस्य	